न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–छतरपुर R 1801 II/13

निराकृत / निर्णीत आदेश दिनांक 3/4/14

1. अर्जुनसिंह पुत्र स्व. श्री जुझारसिंह,
2. रामसिंह पुत्र स्व. श्री जुझारसिंह
3. शिवराजसिंह पुत्र स्व. जुझारसिंह
4. गुलाबसिंह पुत्र स्व. जुझारसिंह
5. कल्याणसिंह पुत्र श्री करनसिंह
6. प्रतिपालसिंह पुत्र श्री करनसिंह
7. देवकी राजा उर्फ नन्ही बाई वैवा हल्केसिंह
8. हनुमतसिंह पुत्र श्री हल्केसिंह
9. रनमतसिंह पुत्र श्री हल्केसिंह
10. कृष्णपाल सिंह पुत्र श्री हल्केसिंह
11. भगवतसिंह पुत्र श्री हल्केसिंह
12. रामपालसिंह पुत्र श्री हल्केसिंह

समस्त निवासीगण ग्राम बरेठी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

— आवेदकगण

विरूद्ध

किशोरी पुत्र श्री मुलुवा चमार, निवासी ग्राम बरेठी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

— .अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर, जिला–छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 149/स्व.प्रे.निग. /अ–19/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 01.04.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक द्वारा बताया गया कि नायब तहसीलदार बसारी, तहसील राजनगर द्वारा प्रकरण कमांक 75/अ–19/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 28.08.98 को भूमि खसरा कमांक 740/2 के अंश भाग 1.200 हैक्टेयर भूमि ग्राम के अन्य अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ आबंटित की गयी थी एवं उसे पट्टा जारी किया गया था।
2. यहकि, नायब तहसीलदार बसारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा न्यायालय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1801/II/ 2013 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
2.4.2014	यह निगरानी कलेक्टर, छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 149/स्व.प्रे.निग./अ–19/ 10–11 में पारित अंतरिम आदेश दि. 1–4–2013 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ न्यायालयीन अंतरिम आदेश दि. 20.6.13 में निर्णय लिया गया है कि ग्राह्यता के पूर्व अनावेदक को सुना जाना एंव अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख देखना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हो जाने एंव अनावेदक के उपस्थित होने पर दोनों पक्षों को ग्राह्यता पर सुना गया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव कलेक्टर, जिला छतरपुर व्दारा प्र.क.149/स्व.प्रे.निग./अ–19/ 10–11 में पारित अंतरिम आदेश दि. 1–4–2013 के अवलोकन से पाया गया कि उनके आदेश के अंतिम पदों का उद्वरण इस प्रकार है :– "उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों को मान.राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर व्दारा पारित आदेश दिनांक 5–3–13 के पालन में स्थगन के बिन्दु पर तर्क सुने गये । यद्यपि आलोच्य प्रकरण में किसी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के कियान्वयन को स्थगित किया जाना विचाराधीन नहीं है बल्कि मुआवजा वितरण की कार्यवाही को स्थगित	

किया जाना है यदि मुआवजा राशि की बसूली का प्रश्न प्रोद्भूत होने से अनावश्यक विवाद उतपन्न होगा। अतः न्यायहित में भूमि खसरा नं0 740 के मुआवजा वितरण की कार्यवाही आगामी तीन माह या प्रकरण के निराकरण तक जो भी पहले हो, तक के लिये स्थगित की जाती है।

विचार यह करना है कि कलेक्टर छतरपुर ने मुआवजा वितरण की कार्यवाही रोकने हेतु स्थगन जारी करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है ?

म0प्र0राजपत्र (असाधारण) दि. 30 दिसम्बर 2011 में प्रकाशित (संशोधन) क–42 सन् 2011 की धारा 13 व्दारा संहिता की धारा 52 की उपधारा (2) के पश्चात् परन्तुक अंतःस्थापित अनुसार – आदेश का निष्पादन, एक वार में, तीन मास से अधिक के लिये या अगली सुनवाई की तारीख तक, जो पूर्वतर हो, नहीं रोका जावेगा।

कलेक्टर छतरपुर व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 01.04.2013 से आगामी तीन माह या प्रकरण के निराकरण तक जो भी पहले हो, तक के लिये मुआवजा वितरण की कार्यवाही स्थगित की है तथा प्रकरण में सुनवाई की तिथि 29–4–13 लगाई है और यह तीन माह की अवधि दिनांक 30–6–13 को समाप्त हो चुकी है इस प्रकार अंतरिम आदेश दिनांक 1–4–2014 के विरूद्व प्रस्तुत निगरानी आज की स्थिति में अस्तित्वहीन होने से इसी–स्तर पर समाप्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति–सहित वापिस कर प्रकरण रिकार्डरूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, ग्वालियर